

Title: Atrocities on dalits in the state of Haryana and other parts of the country.

सरदार बूटा सिंह (जालौर) : माननीय अध्यक्ष जी, आज हरियाणा में दलितों पर जो अत्याचार हो रहे हैं, उनसे साबित हो गया है कि वहां लॉ एंड ॲर्डर नाम की कोई चीज नहीं है। अभी थोड़े महीने पहले दुलिना के एक पुलिस स्टेशन पर पांच दलितों की हत्या, मजिस्ट्रेट, कलैक्टर और पुलिस के बड़े अधिकारियों के सामने कर दी गई थी। कानून और व्यवस्था की रक्षा करने वाले लोगों के सामने पांच लोगों को बूचड़ों की तरह मार दिया गया। जातिवाद को बढ़ावा देने वाले लोगों ने उन्हें मारा। आज तक उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। इस विषय पर सदन में चर्चा हुई और सभी माननीय सदस्यों ने उसमें हिस्सा लिया लेकिन अभी तक उन दलितों की हत्या में दोपी लोगों के खिलाफ न हरियाणा सरकार और न ही गृह मंत्रालय की तरफ से कोई कार्रवाई हुई। आज हरियाणा में ऐसे हालात हैं। इस घटना के तुरन्त बाद दूसरी घटना कैथल डिस्ट्रिक्ट के हरसौला गाव में घटी।

फरवरी महीने में गुरु रविदास जन्म दिवस के अवसर पर गांव के सभी दलित इकट्ठे हुये और भजन-कीर्तन कर रहे थे, उसी समय गांव के जातिवाद को संरक्षण देने वाले लोगों ने मन्दिर में भयकर रूप से इन लोगों को मारा। दलितों ने हिम्मत के साथ एकता की और उन हमलावरों को मन्दिर से बाहर किया। इस घटना के 10 दिन के बाद वे हमलावर फिर आये और दलितों को भयकर रूप से लाठियों और भाले से मारा तथा बाद में उनके मोहल्ले में आकर इन पर टूट पड़े। औरतों, बच्चों और बुजुर्ग लोगों को घर से बाहर निकाल-निकाल कर मारा। इस हमले में 3-4 दर्जन लोग घायल हुये। 22 फरवरी को एक जवान लड़की रजनी ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। इसके अलावा जसवंत नाम के एक बच्चे ने इसलिये दम तोड़ दिया क्योंकि उसका इलाज नहीं हो सका। इसी प्रकार लगातार उन लोगों पर अत्याचार हो रहे हैं। इस घटना के बाद पूरा दलित मोहल्ला निकलकर कैथल के डिस्ट्रिक्ट कैम्प में रहा। वे लोग शरणर्थियों की तरह रह रहे हैं।

श्री मलहोत्रा जी पूछ रहे थे कि यह घटना कब की है और आज क्यों यह मामला उठाया जा रहा है। यह फरवरी माह की घटना है। स्थानीय विधायक तथा चीफ पार्लियामेंटरी सैक्रेटरी के नेतृत्व में पूरे लोगों को आर्नाइज करके दलितों पर तीसरी बार हमला किया गया। उन्हें जबरदस्ती गांव से उठाकर लाया गया, पिटाई की गई और कांगज पर दस्तखत कराकर समझौता करा दिया गया। इस समझौते में लिखवाया गया कि हमारा कोई झगड़ा नहीं था। पुलिस कर्मचारियों ने 20 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया और 12 लोगों का उनमें से चालान किया गया लेकिन चीफ पार्लियामेंटरी सैक्रेटरी उन लोगों को छुड़वाकर ले गये। अब केस के मुताबिक कोई अभियुक्त वहां नहीं है, एक भी मुकदमा दर्ज नहीं है।

अध्यक्ष महोदय, सारे मोहल्ले के 275 परिवार कैथल की सङ्कों पर चिलचिलाती धूप में पड़े हुये हैं। उन लोगों के लिये न खाने का और न पीने का कोई बन्दोबस्त है। सरकार ने कहा था कि वह 10 लाख रुपया मुआवजा देगी, कलेक्टर ने कहा कि वह 25 हजार रुपये घायलों के लिये मुआवजा देंगे लेकिन आज तक एक कौड़ी पैसा नहीं दिया गया है। उन लोगों की एक रैली जन-सेवा संगठन के नाम से आज दिल्ली में श्री के.आर.पुनिया, कांग्रेस उपाध्यक्ष की नेतृत्व में जन्तर-मन्तर पर आई हुई है। अध्यक्ष महोदय, आज आपकी कृपा से यह मामला में उठा रहा हूं। मेरी मांग है कि जो मारे गये हैं, उन्हें 5-5 लाख रुपये का मुआवजा दिया जाये। मोहल्ले के लोगों को पुलिस संरक्षण में वापस गांव भेजा जाये तथा उन लोगों की जान-माल की हिफाजत की जाये। जिन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है, उनका चालान करके उन्हें सजा देने का काम किया जाये और उन में से किसी को न छोड़ा जाये। मैं इस मामले में देश के गृह मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि यह कोई मामूली घटना नहीं है। यह दूसरी बड़ी घटना है। हरियाणा में बी.जे.पी. सरकार का समर्थन कर रही है। मैं श्री मलहोत्रा जी से कहना चाहूंगा कि यदि उन्हें दलितों के साथ हमदर्दी है और जिस तरह से उ.प्र. में दलितों को मारा जा रहा है, उन लोगों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज नहीं किया जा रहा है, अगर सरकार ने कोई ठोस कार्यवाही नहीं कि तो वे लोग मैदान में उत्तर आयेंगे और संघर्ष करते हुये सरकार को खत्म करेंगे। इसलिये मेरी प्रार्थना है कि दलितों को संरक्षण दिया जाये।